7. पशु किसान क्रेडिट कार्ड :

पशुपालकों की कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार द्वारा 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' योजना की शुरूआत की गई हैं इस योजना के तहत पशु पालक एक लाख साठ हजार (1,60,000) रूपये तक की राशि बिना कुछ गिरवी रखे किसी बैंक से ले सकते हैं। सभी बैंकों द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। पशु पालकों द्वारा लिये गये ऋण का समय पर भुगतान करते रहने पर भारत सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर में छूट दी जायेगी। जिससे पशु पालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ही ऋण का भुगतान करना होगा। यह छूट केवल 3 लाख रूपये के क्रेडिट लिमिट तक ही दी जायेगी। इसके अतिरिक्त पशु किसान क्रेडिट धारक द्वारा 3 लाख रूपये से अधिक बकाया राशि का ऋण 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर पर करना होगा।